

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 772

12 Aashwin, 1941(S)

Ranchi, Friday, 4th October, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 4th October, 2019

Notification No. 12/2019 – State Tax (Rate)

S.O. No. 71 Dated 4th October, 2019- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

- 1. In the said notification, -
 - (a) in Schedule I 2.5%,

(i) after **serial number** 234A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"234B	87	Electrically operated vehicles, including two and three						
		wheeled electric vehicles.						
		Explanation: For the purposes of this entry, "Electrically						
		operated vehicles" means vehicles which are run solely on						
		electrical energy derived from an external source or from						
		one or more electrical batteries fitted to such road vehicles						
		and shall include E- bicycles.";						

(ii) after S. No. 234A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"234B	8504	Charger or		charging	station	for	Electrically	operated
		vehicles"						

- (b) in Schedule II 6%, S. Nos. 206 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) in Schedule III 9%, against S. No. 375, in the entry in column (3), after the words "inductors", the words ", other than charger or charging station for Electrically operated vehicles" shall be inserted.
- 2. This notification shall be deemed to be effective from 01^{st} August, 2019. [File.No Va Kar / GST / 03/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand

(Prashant Kumar)

Secretary-cum-Commissioner

Note: - The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017 and last amended by notification No. 24/2018-State Tax (Rate), dated the 24th January, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 2, dated the 24th January, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना अधिसूचना सं॰. 12/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 71 दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 (अ.)- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची । - 2.5% में,

(i) क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"242 क	87	विद्युत चालित वाहन, जिसमें दो और तीन					
		पहिया वाले विद्युत मोटर वाहन भी आते हैं।					
		स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए,					
		"विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से					
		है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलते हैं।					
		यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती					
		है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या					
		एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है। इन					
		विद्युत चालित वाहनो में ई-साइकिल भी					
		शामिल होंगे।";					

(ii) क्रम संख्या 234 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्निखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"234 ख	8504	विद्युत	चालित	वाहन	के	चार्जर	या	चार्जिंग
		स्टेशन";						

- (ख) अनुसूची II 6% में, क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ग) अनुसूची III 9% में, क्रम संख्या 375 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "इन्डक्टर्स" के पश्चात "विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन से भिन्न" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।
- 2. यह अधिसूचना 01 अगस्त, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/03/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार) सचिव-सह-आयुक्त

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 24 जनवरी, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 2, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।